संख्या-45/2558 ई-2/तेरह-2014-126/2013

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 26 दिसम्बर,2014

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 की आबकारी नीति के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-154/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2015-16, दिनांक 09 दिसम्बर,2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-116 ई-2/तेरह-2014-126/2013, दिनांक 29-01-2014 द्वारा वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 के लिये आबकारी नीति का निर्धारण किया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2(अ) द्वारा वर्ष 2014-15 हेतु निर्धारित आबकारी नीति प्रचलित है। आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 09 दिसम्बर,2014 में किये गये अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 29-01-2014 के प्रस्तर-2(ब) द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु निर्धारित की गई आबकारी नीति का क्रियान्वयन 15 जनवरी,2015 से प्रारम्भ करने हेतु एतद्द्वारा शासन की अनुमति प्रदान की जाती है।

कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(सुनील कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/gohindi